न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– श्री इन्द्र सिंह राव (आई०ए०एस०)

प्रकरण संख्या– 132/2014

बउनवान

रामकिशन आयु 62 वर्ष पुत्र श्री श्रवणलाल जाति–मीणा निवासी–भडसुई तहसील–बारां जिला–बारां (अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार,बारां (रेस्पोंडेंट)

अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री ओमप्रकाश मेहता II, अभिभाषक (अपीलांट)

2. पेरोकार सरकार (रेस्पोंडेंट)

निर्णय दिनांक – 23.01.2019

1– अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां के आदेश दिनांक 03.03.2014 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम–भडसुई, तहसील–बारां की आराजी ख0नं0 483 रकबा 0.48 है0, 0 किस्म चारागाह भूमि पर अतिक्रमी मानकर, बेदखली, 240/–रूपये अर्थदण्ड एंव 60 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि के प्रतिपादित सिद्धान्तों के विपरीत होने से काबिले निरस्त किये जाने योग्य है। निर्णय अपीलांट को पश्चात्वर्ती अतिक्रमी मानकर किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पश्चात्वर्ती बाबत कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने छपे फार्म पर परफार्मा के आधार पर निर्णय पारित किया है जो स्पेसिफिक निर्णय की श्रेणी में नहीं आता है। अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटि पूर्ण धारणा बनाकर निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर अब अतिक्रमी नहीं है, कब्जा छोड रखा है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरूद्ध निर्णय पारित करने में भारी भूल की है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का का निर्णय दिनांक 03.03.2014 निरस्त फरमाया जावे।

2– इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

3– बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेही का पर्याप्त अवसर नहीं देकर, एकपक्षीय निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी पर अपीलांट का कोई अतिक्रमण नहीं है, उक्त आराजी का कब्जा छोड दिया है। वर्तमान में उक्त आराजी पडत पडी हुई है। तावान राशि जमा करा दी है। अपने कथन के समर्थन पर कब्जे छोडने से संबंधित हल्का पटवारी की रिपोर्ट दिनांक

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
जिला कलक्टर
बारां (राज०)

18.9.17 पेश की। साथ हीं कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने हल्का पटवारी की झूठी रिपोर्ट को विश्वसनीय मानते हुये, छपे हुये प्रफार्मा पर साईक्लोस्टाईल आदेश पारित किया गया है, जो विश्वसनीय नहीं माना जा सकता। अपीलांट प्रश्नगत आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में भी पश्चात्वर्ती अतिक्रमण बाबत कोई स्वतंत्र गवाहान के बयान व पूर्व बेदखलीनामा नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलांट को पश्चात्वर्ती नहीं माना जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरूद्व निर्णय पारित करने में काननूी त्रुटि की है, जो निरस्त योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 03.03.2014 निरस्त फरमाया जावे।

4— इसके विपरीत पेरोकार सरकार ने अपीलांट अभिभाषक के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत नोटिस जारी कर, सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को उक्त आराजी पर पूर्व में अतिचार करने पर मिसल नम्बर 224/13 निर्णय दिनांक 06.03.2013 से बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

5— हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत नोटिस जारी किया गया है। अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ है, जो उन्होने अपील में स्वीकार किया है, इसलिये अपीलांट का कथन कि एकतरफा निर्णय पारित किया है, उचित प्रतीत नहीं होता है। साथ हीं प्रमाणित होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेहीं का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। विवादित आराजी चारागाह भूमि है जिसपर अपीलांट पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रश्नगत आराजी पर पूर्व में अतिचार करने पर मिसल नम्बर 224/13 निर्णय दिनांक 06.03.2013 से बेदखल किया जाना प्रमाणित है। अतः स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रश्नगत आराजी चारागाह भूमि पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी पाये जाने के फलस्वरूप हीं सजायाब किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाया जाता है।

6— परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील सारहींन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा प्रकरण संख्या 305/14 में पारित आदेश दिनांक 03.03.2014 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 23.01.2019 को खुले इजलास में दिया जाकर सुनाया गया।

(इन्द्र [illegible] राव)
जिला [illegible] बारां

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official